कनाट प्लेस, नई दिल्ली के आसपास बहुमंजिली इमारतें

*82. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में **कनाट प्लेस**, के आसपास बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के विषय में सरकार ने कोई नीति तय की है;

(ख) इस क्षेत्र में निर्मित बहुमंजिली इमारतों के दुष्प्रभावों के विषय में क्या कोई जानकारी प्राप्त हुई है : और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां। पूर्व नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति द्वारा तैयार की गई विस्तृत योजनाओं/पुनर्विकास योजनाओं और एक समान भवन उपनियम, 1983 के अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कनाट प्लेस क्षेत्र में बहुमंजिले भवनों के निर्माण की अनुमति दी जा रही है। जब तक दिल्ली की संशोधित बृहत योजना को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता तब तक नई दिल्ली तथा दक्षिणी दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम क्षेत्राधिकार के अधीन बहुमंजिले भवनों के निर्माण की नवीन स्वीकृति तत्काल से बन्द करने के निर्देश सरकार ने 17-10-85 को संबंधित प्राधिकारियों को दे दिए है। कनाट प्लेस के चारों ओर का क्षेत्र भी इन आदेशों के अन्तर्गत आता है।

(ख) और (ग) उक्त क्षेत्र में निर्मित बहुमंजिलें भवनों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई रिपोर्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका और भूमि तथा विकास कार्यालय ने नहीं की है। तथापि, मार्च, 1985 में दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा गगन-चुम्बी भवनों पर आयोजित सेमिनार में इस बात पर टिप्पणी की गई थी कि गगन-चुम्बी भवन, पार्किंग तथा अत्यधिक यातायात की समस्या पैदा करते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक : माननीय मंत्री जी को इनके विभाग ने गुमराह किया है। इसी सदन में इसी तरह के सवाल पर यह कहा गया था कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये बहुमंजिल इमारतें बनने से न सिर्फ यातायात बल्कि और तरह की परेशानियां पैदा हुई हैं, सारे इलाके का चरित्र बिगड़ा है और बहुत तरह की कठिनाइयां पैदा हुई है। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप से अभी इसके बारे में यह तय हुआ है कि नयी इमारतों के लिए सैंक्शन नहीं दी जाये। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कितनी इमारतें हैं, कितने प्रोजेक्टस हैं कनाट प्लेस और उसके आसपास जिनका सैंक्शन तो हो चुका है लेकिन जिन पर अभी काम चालू नहीं हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसी बहुत सी इमारतें हैं और उनके बनने से पूरे इलाके का चरित्र बदल जाएगा तो मैं जानना चाहता हूं कि इन इमारतों के बारें में इन योजनाओं के बारें में क्या आपको जानकारी है कि जिनका अभी काम शुरू नहीं हुआ है लेकिन जिसको इजाजत आपने दे दी है बनाने की।

श्री अब्दुल गफूर : यह आपका जो सप्लीमेंटरी है, मैंने इसमें कहा कि इसके पहले क्या-क्या हुआ है अगर वह कहिए तो उसका डेटवाइज जवाब दे सकता हूं। लेकिन यह है कि आपने जो सप्लीमेंटरी किया है वह शायद इस सकते नजर से कि मेरी तरफ से यह इंस्ट्रक्शन गया है कि फ्रेश काम को स्टाप किया जाये। जब तक सेकेण्ड रिवाइज्ड मास्टर प्लान दिल्ली का तैयार नहीं हो जाये और सारी चीजों का जिनका आपने जिक्र किया है या और लोगों के दिल और दिमाग में भी है, वह बात कि इसकी खूबसूरती को मद्दे नजर रखा जाये। पार्किंग को रोशनी वगैरह को देखा जाये तो उस वक्त तक कोई फ्रेश बिल्डिंग नहीं बनेगी। लेकिन जिन बिल्डिंगों को पहले इजाजत दे दी है 7-8-9 या 6-5 साल पहले और हम उनको स्टाप कर सकेंगे इसके लिए मैं आपको नयी सूचना देता

हूं कि उसको हमने ला डिपार्टमेंट में भेज दिया है कि वहेदर आई एम कम्पीटेंट टु स्टाप इट आर-नाट ।

श्री सत्यपाल मलिक : ये जो इमारतें बनी है इन इमारतों के दुष्प्रभावों की वजह से सरकार ने यह निर्णय लिया है । अब मौजूदा इमारतें बनी हुई हैं उनके ही असरात की वजह से आपको यह फैसला लेना पडा है तो जिनकी आपने इजाजत दी हुई है वे भी बन गयीं तो ज्यादा नुकसान होगा । मैं मंत्री जी से इसका एश्योरेंस चाहूंगा कि इजाजत दी गयी है। तो भी कानूनी तौर पर मुमकिन हो तो रोक दे । मैं सप्लीमेंटरी खत्म कर दूं दूसरी बात कहकर । मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसी भी कुछ इमारतें नयी बनाने की इजाजत दी गयी है जिनके बारे में अर्बन आर्ट कमीशन, आर्चीटेक्ट डिपार्टमेंट और अन्य विभागों ने आपत्ति की है कि इनके बनने से फलां फलां नुकसान होगा । कम से कम ऐसी इमारतों के बारे में अगर इजाजत दे दी है तो इनके बारे में आपकों नये सिरे से सोचना चाहिए यह एश्योरेंस मैं सरकार से चाहता हूं ।

श्री अब्दुल गफूर : सप्लीमेंटरी ऐसा था उसमें कि जिसको मान गये । हम इस चीज को नही मानते हैं : ये सारी चीजें सेकेण्ड मास्टर प्लान में रिवाइज होने के लिए गयी हैं । अर्बन आर्ट कमीशन रहेगा, आप भी रहिएगा, ये सारे लोग अपने केस को देंगे । जहां तक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स का सवाल है उसमें हम हर जगह देखते हैं सारी दुनिया में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं... **(व्यवधान)**

श्री सत्यपाल मलिक : वे तो गिरा रहे हैं ।

श्री अब्दुल गफूर : जरुरत पड़ेगी तो हम भी गिरा देंगे ।

इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, दूसरा दुनिया में क्या हो रहा है उन सब चीजों को सेकेण्ड मास्टर प्लान में जो रिवाइज प्लान बनने के लिए जा रहा है, अंडर कंसीडरशन है उसमें रखा गया है और जब वह सेकेण्ड रिवाइज्ड मास्टर प्लान आयेगा फिर उसमें पब्लिक की क्रिटिसिज्म को इन्वाइट किया जायेगा फिर इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट एक डेफिनिट पोजीशन में होगी । अभी हम इस पोजीशन में नही है कि कोई खास डैफिनिट पोजीशन लें क्योंकि ये सारी चीजें सेकेण्ड मास्टर प्लान में रिवाइज नहीं हुई हैं । वे लोग क्या कहते हैं... **(व्यवधान)** मालूम नहीं है । वे कह सकते हैं कोई नयी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे । इसलिए इस समय मेरे लिए कहना मुनासिब नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, 1980 के बाद से कनाट प्लेस में कितनी ऐसी बहु-मंजिली इमारतें हैं, जहा पर कि अवैध निर्माण हुआ होटल के लिए या जहां पर होटल चल रहे है और ऐसी इमारतों के मालिक कौन हैं तथा उनके नाम क्या हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : ये तो आपने फेक्टस पूछे है । अभी तो मेरे पास इसके फिगर्ज नहीं हैं । यदि आप जानना चाहेंगे, तो हम यह मंगवा कर आपको भेज देंगे ।

श्री बी सत्यनारायण रेड्डी : । चैयरमैन सर, अभी मंत्री जी ने यह कहा है कि जब तक सेकन्ड रिवाइज्ड प्लान बनेगा, उस वक्त तक जो भी नई कंस्ट्रैक्शन हैं, उनको रोक दिया गया है, वह ठीक है । जिन बिल्डिंग्स के बारे में इजाजत दी गई है इससे पहले, तो वह ला डिपार्टमेंट के पास ओपीनियन के लिए भेजा है, यह आपने कहा है ।

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जिन इमारतों के लिए इजाजत दी गई है इससे पहले उस इजाजत के लिहाज से कितनी इमारतें बनी हैं और कितनी इमारतें बनने जा रही हैं ? यह सूचना तो आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ-साथ जो वैस्टर्न कोर्ट है, जो अंग्रेजों के जमाने में बनी है तथा जो पार्लियामेंट के मेम्बरान के रहने के लिए है — मैं भी एक साल उसमें रहा था, उस वक्त

कहा जा रहा था कि इसको गिराया जाएगा और मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग इसकी जगह बनाई जाएगी ।

क्या इस स्कीम में यह भी शामिल है ? और जिन इमारतों के लिए इजाजत दी गई है, उनमें से कितनी बनी हैं और कितनी बनने वाली हैं आपकी लीगल ओपीनियन आने तक ?

श्री अब्दुल गफूर : दो चीजें हैं, एक तो आपने पूछा कि कितनी बनी है और दूसरे कितनी नहीं । उसके लिए हमारे पास फिगर्ज नहीं है क्योंकि पहले से वह परमिशन था, उन लोगों ने बनाया ।

दूसरी चीज जो माननीय सत्य पाल जी ने कही है क्वश्चन में, उससे जाहिर होता है कि इनको नहीं बनना चाहिए और बनना चाहिए भी तो खास हद तक किस उंचाई तक बनना चाहिए । तो इसके लिए हमने यह बता दिया कि सेकन्ड मास्टर प्लान रिवाइज्ड प्लान बनने जा रहा है दिल्ली में—वह काम शुरू है । जब उसमें सारी चीजें यह सब लोग देखेंगे मेरे पास एक्चुअल फिगर्स नहीं है कि कौन कौन बिल्डिंग बनी हैं, कितनी बनी हैं, जो पहले बन गई वह बन गई हैं । इस वर्ष हमने अक्तूबर में तमाम जगह खत भेज दिया है कि कोई भी काम म्यूनिसिपल कारपोरेशन में, एन०डी०एम०सी० में या डी०डी०ए० में रिवाइज्ड प्लान तक बंद कर दें और जो बन गया है, वह तो बन गया है, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : नहीं, आपके पास सूचना तो होगी ।

MR. CHAIRMAN: He is also giving a long answer and you are putting a long question.

श्री अब्दुल गफूर : आप तो जानते ही हैं कि परमिशन दी जाती है । हम फर्दर परमिशन नहीं दे रहे हैं और इसके लिए हमने तमाम डिपार्टमेंट को लिख दिया है कि अब इसको जरा सा रोकें जब तक कि हमारा सेकन्ड मास्टर प्लान रिवाइज नहीं होता है ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : वैस्टर्न कोर्ट के बारे में . . .

MR. CHAIRMAN: No, Please do not answer him. Do not listen to him.

श्री शान्ति त्यागी : मान्यवर, यह भी हम लोगों की जानकारी में है कि दिल्ली में और बम्बई में मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग में कई दफा बहुत भयंकर अग्निकांड हो चुके हैं और बिजली की वजह से वहां आग लगी है और जानमाल का भी नुकसान हुआ है ।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहु-मंजिली इमारतें जो अब बन रही हैं, इनमें बिजली से सुरक्षा, आग न लगे, इसकी सुरक्षा के लिए क्या माडर्न डेवाइसेज की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह निगरानी आपने करवा ली है और क्या इसकी जांच आपने करवाई है कि नहीं ?

श्री अब्दुल गफूर : यह आपने बिल-कुल सही फरमाया । हम लोग जो आइंदा परमिशन देने जा रहे हैं, जिस चीज का आपने जिक्र किया, उसका खास तौर पर ख्याल रखा जाएगा । उसके लिए भी एक कमेटी है, वह देखेगी कि इलैक्ट्रिसिटी से आग लगने के बाद जल्दी से कैसे उतर सकते हैं, या सब के सब कनजैस्टेड उसी में मर जायेंगे लोग, इस सब चीज का ख्याल रखा गया है ।

SHRI M. KADHARSHA: Sir, if skyscrapers are allowed to grow, Delhi will soon become a ghost city. The skyscrapers do not cause traffic and parking problems alone as the hon. Minister has stated. The air-conditioning system in these buildings and the ventilation system are very poor. The noise is deafening, and the vibration is much in all the floors of the skyscrapers. These vibrations damage paintings, art objects, and above all result in headache, allergies and noise pollution. Sir, the equipment used in these buildings are de-

fective. The technology is obsolete and the maintenance is handled by ill-trained staff. For instance, even the lifts in the 'Jeevandeep building' where Central Government offices are located—which is very close to the Parliament House is very dangerous. Many of the lifts are used as dust-bins and stray cattles are staying in the lifts.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

SHRI M. KADHARSHA: Sir, most of the buildings whether they belong to the Government or other agencies where Government offices are located, there are no generators. If there is a power failure, there is every possibility of the inmate being trapped in the lift. Sometime back in a Central Government office a South Indian employee who worked till late in the evening was returning home and fell in the lift pit and died. Such incidents are happening. So, I would like to know, whether the Government will undertake any study of every skyscraper in New Delhi? What action will be taken by the Government if there is any defect?

MR. CHAIRMAN: Time over.

SHRI M. KADHARSHA: When there was fire in the Gopal tower there was much news in the press. After that everything was hushed up and what action will be taken....

MR. CHAIRMAN: Time over please. Now you please answer whatever information you have.

SHRI ABDUL GHAFOOR: Sir, first of all, it does not relate to the main question. The main question is regarding construction of multi-storeyed buildings. In this connection, my hon. friend has pointed out regarding electricity this and that. I have already answered that point. So far as his question is concerned, it relates to the old buildings somewhere where there are no lifts and all those things. The C.P.W.D. and others concerned will look after it.

MR. CHAIRMAN: All right. Smt. Usha Malhotra.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: The Honourable Minister has just now referred to the second master revised plan. We all know that it is not enough to make a reference or to hand over the whole problem to the people concerned. I would like to know from the Honourable Minister whether the Government is going to take any stringent measures, I would say, to stop construction of multi-storeyed buildings, till the second master revised plan is out? Is there any time frame for it?

SHRI ABDUL GHAFOOR: I think the hon. Member has not heard my reply to the question. I have already told that the instructions have been issued on the 17th October that no fresh sanctions should be given for construction of multi-storeyed buildings. So in view of that the hon. Member should feel satisfied that no fresh order is going to be issued. Whatever has been issued that may be the fault of the Government or the fault of the hon. Member for not bringing up the matter to the notice of the Government at that time. Whatever has been sanctioned, has been sanctioned and in future we will be careful.

SHRIMATI USHA MALHOTRA: What about time frame?

MR. CHAIRMAN: Next Question No. 83.

Central assistance to Karnataka for drought relief

*83. SHRI F. M. KHAN:†
SHRIMATI MONIKA DAS:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the total loss of crops due to recent drought in Karnataka;

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri F. M. Khan.